

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/114ए/एच0पी0डी0/2016-17/582675 दिनांक 09.2016
विषय—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिये “उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि” (PBI) की व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

प्रदेश में समग्र सूचकांकों के आधार पर अपेक्षाकृत कमजोर 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों (HPD) में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत RMNCH+A की रणनीति लागू की गयी है जिससे विशेष रूप से कमजोर एवं दूर दराज वाले वर्गों के लिये, सुलभ, किफायती एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा सकें। भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर इन 25 एच0पी0डी0 जनपदों को दुर्लभ क्षेत्र मानते हुये विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं एवं औसत से अधिक कार्य करने पर मानव संसाधन के लिये “उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि” (PBI) की विशिष्ट व्यवस्था की गयी है जो निम्न प्रकार है—

1. सामान्य संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिये “उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि” की विशिष्ट व्यवस्था—(एफ0आर0 कोड—ए.8.1.8)
 - 1.1. एस0बी0ए0 प्रशिक्षित ए0एन0एम0 द्वारा अपने उपकेन्द्र पर प्रसव कराने पर “उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि” — उपकेन्द्र पर माह में कराये गये छःठवें प्रसव से ए0एन0एम0 वार कराये गये प्रसवों की तिथिवार तालिका बनाकर एस0बी0ए0 प्रशिक्षित ए0एन0एम0 द्वारा सम्पादित प्रसवों पर रू0— 300.00 प्रति प्रसव की दर से प्रोत्साहन राशि अनुमन्य होगी।
 - 1.2. एस0बी0ए0 प्रशिक्षित ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स द्वारा APHC/NPHC पर प्रसव कराने पर “उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि”—उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों (HPD) में काफी कम संख्या में APHC/NPHC प्रसव केन्द्र के रूप में क्रियाशील हैं। अतः अक्रियाशील APHC/NPHC को क्रियाशील बनाने एवं क्रियाशील केन्द्रों पर अधिक प्रसव कराने हेतु 16वें प्रसव से कर्मीवार एवं तिथिवार कराये गये प्रसवों की तालिका बनाकर एस0बी0ए0 प्रशिक्षित ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स द्वारा सम्पादित प्रसवों पर रू0— 300.00 प्रति प्रसव की दर से प्रोत्साहन राशि अनुमन्य होगी।
 - 1.3. एस0बी0ए0 प्रशिक्षित ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स द्वारा Non FRU CHC/BPHC पर प्रसव कराने पर “प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन धनराशि” —Non FRU CHC/BPHC पर माह में कराये गये प्रथम 50 प्रसवों तक कोई प्रोत्साहन धनराशि देय नहीं है। 51वें प्रसव से कर्मीवार कराये गये प्रसवों की तालिका बनाकर एस0बी0ए0 प्रशिक्षित ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स द्वारा सम्पादित प्रसवों पर रू0— 300.00 प्रति प्रसव की दर से प्रोत्साहन राशि अनुमन्य होगी।
 - 1.4. वित्तीय व्यवस्था— इस मद में एच0पी0डी0 जनपदों में रू0 300.00 प्रति सामान्य प्रसव की दर से उपकेन्द्र पर कराये गये 21,150 अतिरिक्त प्रसवों हेतु कुल धनराशि रू0—63.45 लाख, APHC/NPHC पर कराये गये 4710 अतिरिक्त प्रसवों हेतु कुल धनराशि रू0—14.13 लाख एवं Non FRU CHC/BPHC पर कराये गये 54550 अतिरिक्त प्रसवों हेतु कुल धनराशि रू0—163.65 लाख

Mh
डा० नीरा जैन
महाप्रबंधक (मातृ स्वास्थ्य)
एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0, उ०प्र०

स्वीकृत की गयी है जिसकी 50 प्रतिशत धनराशि संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। शेष धनराशि अवमुक्त धनराशि का 80 प्रतिशत व्यय विवरण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

2. सीजेरियन प्रसव को बढ़ाने के लिये "उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि" की विशिष्ट व्यवस्था—
(एफ0आर0 कोड—ए.8.1.8)

2.1. जिला स्तर की इकाइयों पर गत वर्ष के माह की तुलना में उस वर्ष के उसी माह में अधिक सीजेरियन करने के पश्चात प्रत्येक सीजेरियन प्रसव हेतु रू0 3000.00 प्रति केस प्रति टीम प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य होगी जो निम्नवत आबंटित होगी—

- ✓ स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन/ई0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षित चिकित्सक — रू0 1200.00
- ✓ निश्चेतक/एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षित चिकित्सक — रू0 600.00
- ✓ बाल रोग विशेषज्ञ/एफ0आई0एम0एन0सी0आई0 प्रशिक्षित अथवा अन्य कोई चिकित्सक जिसने नवजात की तत्काल देखभाल की हो — रू0 600.00
- ✓ ओ0टी0 स्टाफ नर्स व ओ0टी0 कर्मियों इत्यादि (चतुर्थ श्रेणी मिलाकर) — रू0 600.00

अर्थात यदि किसी इकाई पर गत वर्ष उसी माह में 100 सीजेरियन प्रसव हुये थे तो इस वर्ष उसी माह में 101 वें सीजेरियन प्रसव से यह प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य होगी।

जनपद स्तरीय इकाइयों पर प्रथम 10 सिजेरियन प्रसव तक यह प्रोत्साहन लागू नहीं होगा।

2.2. जिला स्तर से नीचे स्तर की इकाइयों (सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0/एस0डी0एच0) पर प्रति माह 05 सीजेरियन करने के पश्चात छठें सीजेरियन प्रसव से रू0 3000.00 प्रति केस प्रति टीम प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य होगी जो उपर्युक्तानुसार ही टीम के सदस्यों के मध्य विभक्त होगी।

2.3. वित्तीय व्यवस्था— प्रदेश के 25 एच0पी0डी0 जनपदों में प्रत्येक स्तर पर सीजेरियन प्रसव का प्रतिशत बढ़ाये जाने हेतु इकाइयों पर कार्यरत ई0एम0ओ0सी0 दल (नियमित अथवा संविदा) के लिए एक सीमा से अधिक सीजेरियन प्रसव सम्पादित किये जाने पर एफ0एम0आर0 कोड— ए.8.1.8 में कुल सिजेरियन प्रसव भार एवं नवीन इकाइयों के क्रियाशील हाने की प्रत्याशा में 5545 सिजेरियन प्रसव हेतु प्रोत्साहन धनराशि रू0—166.35 लाख स्वीकृत की गयी हैं। जिसकी 50 प्रतिशत धनराशि संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। शेष धनराशि अवमुक्त धनराशि का 80 प्रतिशत व्यय विवरण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

3. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग:—

- ✓ जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इस प्रोत्साहन धनराशि के ससमय आवंटन हेतु जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाय।
- ✓ सभी मुख्य चिकित्साधिकारी तत्काल इस प्रोत्साहन धनराशि की विस्तृत जानकारी सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धकों व एच0ई0ओ0 को प्रदान करने के लिये जनपद स्तर पर एक बैठक का आयोजन करें। बैठक में चर्चा के माध्यम से सभी ब्लॉक प्रभारियों को प्रोत्साहन धनराशि के आंगणन हेतु जानकारी दें एवं उन्हें स्पष्ट निर्देश दें कि वे ब्लॉक पर सभी ए0एन0एम0/स्टाफ नर्सों को इस प्रोत्साहन धनराशि की जानकारी दे दें।
- ✓ यह प्रोत्साहन धनराशि नियमित/संविदा दोनों प्रकार के विशेषज्ञों/कर्मियों को अनुमन्य होगी। यह प्रोत्साहन धनराशि मासिक आधार पर वितरित की जायेगी, इस प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान तब

Hr
डा० नीरा जैन
महाप्रबंधक (मनु स्वास्थ्य)
एस०पी०एफ०यू०एन०एच०एच०, उ०प्र०

तक नहीं किया जायेगा जब तक EmOC टीम द्वारा सूचित प्रदर्शन/उपलब्धियों का सत्यापन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नामित पर्यवेक्षक अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप से न कर लिया जाये।

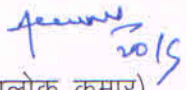
- ✓ यह प्रोत्साहन धनराशि अच्छे कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिये है अतः इसका भुगतान नियम से प्रत्येक माह किया जाये। सुनिश्चित करें कि आगामी माह की 05 तारीख तक विगत माह की प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान अवश्य कर दिया जाये।
 - ✓ इस प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स द्वारा सूचित प्रदर्शन/उपलब्धियों का सत्यापन (एम0सी0टी0एस0 पोर्टल/प्रसव इकाई के रिकार्ड से) ब्लॉक प्रभारी अथवा नामित समकक्ष अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप करने के पश्चात किया जायेगा।
 - ✓ यह प्रोत्साहन धनराशि प्रत्येक प्रसव इकाई पर निर्धारित सीमा से अधिक प्रसव सम्पन्न होने पर अनुमन्य होगी जिसका आबंटन कर्मियों के मध्य सम्पादित कार्याधार पर किया जायेगा।
 - ✓ प्रसव इकाई पर माह के आरम्भ के प्रत्येक माह सभी इकाइयों पर संलग्न तालिका (संलग्नक-2) पर प्रसव कार्य कर रही सभी कार्यकर्त्रियों के कार्यों का विवरण अंकित किया जायेगा। तदपश्चात एस0बी0ए0 प्रशिक्षित ए0एन0एम0, स्टाफ नर्स को ही यह प्रोत्साहन धनराशि वितरित की जायेगी। किसी भी दशा में यह प्रोत्साहन धनराशि उन ए0एन0एम0 व स्टाफ नर्सों को देय नहीं होगी जिन्होंने एस0बी0ए0 प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।
 - ✓ जिन कर्मियों को मात्र एस0बी0ए0 प्रशिक्षित न होने के कारण प्रोत्साहन धनराशि नहीं मिल पा रही है उनको प्राथमिकता पर एस0बी0ए0 प्रशिक्षण के लिये अवश्य ही भेज दिया जाये जिससे वे हतोत्साहित न हों।
 - ✓ आगामी माह की 05 तारीख तक जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा अपने जिले की इस प्रोत्साहन धनराशि के आबंटन की मासिक सूचना संलग्न रिपोर्टिंग प्रपत्र (संलग्नक-2) पर नियमित रूप से अन्य प्रपत्रों के साथ ही प्रेषित की जायेगी। प्रत्येक माह ब्लॉक स्तर पर संलग्न रिपोर्टिंग प्रारूपों पर सूचनायें एकत्रित कर जनपद को प्रेषित करने का उत्तरदायित्व ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक व ब्लॉक लेखा प्रबन्धक की होगा।
 - ✓ जनपद स्तर पर सभी इकाइयों पर 01 अप्रैल से वर्तमान तक कर्मीवार अनुमन्य "उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि" का भुगतान एरियर के रूप में कर दिया जाये। तदपश्चात प्रत्येक माह नियमित रूप से भुगतान किये जाने की व्यवस्था की जाये।
4. वित्तीय दिशा निर्देश-उपर्युक्त क्रम में कृपया यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाय कि-
- ✓ किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायगा।
 - ✓ प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाय।
 - ✓ धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
 - ✓ व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - ✓ आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।

डा० नीरा जैन
प्रबन्धक (मातृ स्वास्थ्य)
एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एफ०, उ०प्र०

- ✓ उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,


(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या-एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.आर.यू./84डी-वॉ-2/2016-17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3 समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 5 समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 6 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
- 7 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक-एन०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।
- 8 गार्ड फाइल।


(डा० नीरा जैन)
महाप्रबंधक मातृ स्वा०

[illegible]

yy

[illegible]

Performance based incentives for ND & EmOc in HPDs- FMR Code A.8.1.8

Sno	District	deliveries to be Incentivised at SCs	Incentive for SC deliveries @ Rs.300.00 (In Lacs)	deliveries to be Incentivised at APHCs	Incentive for APHC deliveries @ Rs.300.00 (In Lacs)	deliveries to be Incentivised at PHC & CHCs	Incentive for Block PHC & CHC deliveries @ Rs.300.00 (In Lacs)	LSCS to be incentivised at FRUs	Incentive for LSCS @ Rs.3000.00 (In Lacs)	Total release for PBI, ND & EmOc (Rs. in Lacs)
1	Etah	50	7,500	50	7500	950	142,500	20	30,000	187,500
2	Allahabad	4500	675,000	300	45000	3000	450,000	650	975,000	2,145,000
3	Bahraich	1100	165,000	350	52500	3500	525,000	670	1,005,000	1,747,500
4	Balrampur	50	7,500	100	15000	1000	150,000	110	165,000	337,500
5	Barabanki	50	7,500	250	37500	1500	225,000	800	1,200,000	1,470,000
6	Bareilly	50	7,500	300	45000	2500	375,000	350	525,000	952,500
7	Budaun	850	127,500	650	97500	4000	600,000	125	187,500	1,012,500
8	Faizabad	50	7,500	90	13500	700	105,000	450	675,000	801,000
9	Farrukhabad	50	7,500	50	7500	200	30,000	110	165,000	210,000
10	Gonda	1000	150,000	130	19500	3000	450,000	480	720,000	1,339,500
11	Hardoi	100	15,000	500	75000	5000	750,000	15	22,500	862,500
12	Kannuj	50	7,500	40	6000	500	75,000	20	30,000	118,500
13	Kasganj	800	120,000	50	7500	1500	225,000	10	15,000	367,500
14	Kaushambi	1150	172,500	150	22500	3000	450,000	60	90,000	735,000
15	Kheri	1800	270,000	50	7500	4500	675,000	180	270,000	1,222,500
16	Maharajganj	800	120,000	80	12000	2500	375,000	35	52,500	559,500
17	Mirzapur	50	7,500	50	7500	1500	225,000	560	840,000	1,080,000
18	Pilibhit	50	7,500	70	10500	1100	165,000	100	150,000	333,000
19	Rampur	50	7,500	50	7500	400	60,000	325	487,500	562,500
20	Sant Kabir Nagar	4000	600,000	300	45000	800	120,000	100	150,000	915,000
21	Shajahanpur	50	7,500	50	7500	1000	150,000	50	75,000	240,000
22	Sidharth Nagar	2050	307,500	50	7500	2000	300,000	70	105,000	720,000
23	Sitapur	1000	150,000	800	120000	8000	1,200,000	225	337,500	1,807,500
24	Sonebhadra	550	82,500	150	22500	400	60,000	10	15,000	180,000
25	Srawasti	900	135,000	50	7500	2000	300,000	20	30,000	472,500
Total		21150	3,172,500	4710	706,500	54550	8,182,500	5545	8,317,500	20,379,000


 डा० नीरा जैन
 सहायक (प्रशिक्षण)
 एमओसी, एमओसी, एमओसी, एमओसी